P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper Name- (Law Of Torts And Consumer Protection Including Compehnsation Under Motor Vehicle)

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

2011 (6)

प्र०-1 अपलेख एवं अपवचन को परिभाषित कीजिये एवं इनमे अंतर कीजिये! मान हानी कार्यवाही में उपलब्ध विभिन्न बचावो का वर्णन कीजिये ।

इंगलिश विधि-मुख्यतया ऐतिहासिक कारणों से ही इंगलिश विधि में मानहानि की कार्यवाहियों को अपमान लेख (libel) और अपमान वचन (slander) में विभाजित किया गया है। अपमान लेख ऐसा अभ्यावेदन है जिसे किसी स्थायी स्वरूप अथात् लेखन, मुद्रण, तस्वीर, प्रतिमा अथवा पुतले के रूप में निर्मित किया गया है।

अपमान वचन किसी मानहानिकारक कथन का ऐसा प्रकाशन है, जिसका स्वरूप अल्पकालिक है। इसके उदाहरण बोले गये शब्द अथवा संकेत हो सकते हैं ।

अपमान-लेख और अपमान वचन के बीच अन्तर स्थापित करने का जो दूसरा मापदण्ड निर्धारित किया गया है, वह यह है कि अपमान लेख का सम्बोधन जहाँ आँखों को किया जाता है, वहीं अपमान वचन का सम्बोधन कानों को किया जाता है।

ग्रामोफोन के तवे पर जिन बातों को अभिलेखबद्ध किया जाता हैं, उसका सम्बोधन कानों को होता है, आँखों को नहीं, परन्तु उसका स्वरूप स्थायी होता

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

है । **विनफील्ड** के अनुसार यह अभिलेखबद्ध बात अपमान वचन है। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार वह अपमान लेख है ।

डिफामेशन ऐक्ट, 1522 की धारा व्यवस्था करती है कि बेतार का तार संचार (Wireless Telegraphy) के माध्यम से शब्दों का प्रसारण स्थायी स्वरूप का प्रकाशन माना जायेगा ।

किसी सिनेमा फिल्म में न केवल उसका चित्रमय अंश अपमान लेख के रूप में माना गया है, वरन् उसका वह संभाषण भी अपमान लेख माना गया है जो उसमें सामयिक (Synchronise) किया गया है। **युसुपोक्क** बनाम **एम० जी० एम० पिक्चर्स लिमिटेड** के वाद में मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स लिमिटेड नामक एक अंग्रेजी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई फिल्म में राजकुमार नताशा नामक एक महिला का रैस्पुटिन नामक एक निकृष्ट चरित्र के व्यक्ति के साथ शील प्रशात्मक अथवा बलात्संगी सम्बन्ध दिया गया था।

इंगलिश विधि के अन्तर्गत अपमान लेख और अपमान वचन के बीच का अन्तर दो कारणों से तात्त्विक है-

(1) दण्ड विधि के अन्तर्गत केवल अपमान लेख को ही अपराध के रूप में मान्य किया गया है। अपमान वचन अपराध नहीं है।

PgsNational College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(2) अपकृत्य विधि के अन्तर्गत कुछ आपवादित मामलों को छोड़कर विशेष क्षति सिद्ध होने पर अपमान वचन कार्यवाही योग्य बनता है। अपमान लेख सदैव अपने आप में कार्यवाही योग्य है, इसके लिये किसी भी क्षति का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

निम्नलिखित चार आपवादिक मामलों में अपमान वचन स्वयं अपने आप में कार्यवाही के योग्य है। इन मामलों में विशेष क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं है (1) वादी पर दाण्डिक अपराध का आरोप लगाना।

(2) वादी पर किसी छूत अथवा संक्रामक रोग होने का आरोप लगाना, जिसके परिणामस्वरूप समाज के अन्य व्यक्ति वादी के साथ सहयुक्त होना समाप्त कर दें।

(3) किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाना कि वह जिस पद को धारण करता है, अथवा जिस वृत्ति, उत्तम, वाणिज्य अथवा व्यापार को चला रहा है, उसमें वह अक्षम, अयोग्य अथवा बेईमान है।

(4) किसी महिला अथवा बालिका पर अस्तित्व अथवा जारकर्म का आरोप लगाना भी अपने आप में कार्यवाही योग्य है। इस अपवाद का सृजन स्लैन्डर ऑफ वूमेन ऐक्ट, 1891 द्वारा किया गया था।

मानहानि के आवश्यक तत्व

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

मानहानि अपकार की संरचना के निम्नलिखित प्रमुख आवश्यक तत्व हैं

(1) कथन मानहानिकारक हो (The statement should be defamatory);

(2) कथन को वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिये (The statement should refer to the plaintiff);

(3) ऐसे कथन को प्रकाशित होना चाहिये (The statement should be published)।

1. कथन का मानहानिकारक (Defamatory) होना- मानहानिकारक कथन वह है जिसकी प्रवृत्ति वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाना हो। मानहानि किसी कथन का वह प्रकाशन है जिसकी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को समाज के ठीक समझने वाले सदस्यों के आंकलन में नीचा दिखलाना हो, 8 या जिनकी प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज में घृणा उत्पन्न करना अथवा समाज के सदस्यों को ऐसे व्यक्ति को वर्जन अथवा उससे बचकर रहने को प्रवृत्ति उत्पत्र करना हो। ऐसा कोई भी आरोप मानहानिकारक हो सकता है जो किसी व्यक्ति पर अपयश, तिरस्कार, उपहास अथवा अवमानना का अनावरण करता हो । कोई कथन मानहानिकारक है अथवा नहीं इस बात पर निर्भर करता है, कि समाज के ठीक समझने वाले व्यक्ति उस कथन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। इस सम्बन्ध में जो मापदण्ड लागू किया जाता है वह एक समझदार नागरिक का या एक औसत बुद्धि वाले व्यक्ति का मापदण्ड होता है न कि ऐसे किसी

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

विशेष वर्ग के व्यक्तियों का जिनके मूल्य अथवा मान्यताओं को सामान्यतः समाज के समझदार सदस्यों का अनुमोदन अथवा सत्कार नहीं प्राप्त होता । कथन का सम्भाव्य प्रभाव यदि वादी की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त करता है तो यह कहना प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार्य नहीं है कि वह मानहानि के लिये आशयित नहीं था यदि कथन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति अवमानना, उपहास, भय, अपसन्द अथवा अवमूल्यन उत्पन्न होता है, तो वह कथन मानहानिकारक है। मानहानि का सारतत्व किसी व्यक्ति के चरित्र अथवा उसकी ख्याति की क्षति है।

एस० एन० एम० आब्दी बनाम **प्रफुल्ल कुमार महन्ता** के वाद में यह निर्णय दिया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि आरोप पूर्ण वक्तव्य वादी को समाज के प्रत्येक व्यक्ति अथवा उससे परिचित प्रत्येक व्यक्ति की नजर से गिरा दे। मानहानि के लिये इतना काफी है कि प्रकाशन किया गया कथन वादी को समाज के पर्याप्त प्रतिष्ठित वर्ग के आंकलन में नीचा दिखाए, चाहे वह वर्ग पूरे समाज की तुलना में कम संख्या में हो।

उक्त वाद में 8-9-1990 के Illustrated weekly of India के अंक में एक लेख छापा गया जिसमें असम के पद से हटाए गये deposed) मुख्यमंत्री, **प्रफुल्ल कुमार महन्ता,** अनुचित बल प्रयोग के आरोप लगाये गये थे।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अपील ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि समाचार-पत्र के माध्यम से वक्रोक्ति प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादीगण का प्रत्यक्ष निर्दोषपन प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिवादी उत्तरदायी ठहराये गये।)

कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट हों (The Statement should refer to the plaintiff) मानहानि की किसी कार्यवाही में वाद को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि शब्द, जिनका उसने परिवाद किया है, उसे निर्दिष्ट थे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रतिवादी का आशय वादी का मानहानि करना नहीं था यदि वे व्यक्ति, जिनके बीच शब्दों का प्रकाशन किया गया था, युक्तियुक्ततः यह अनुमान कर सकते थे, कि वह कथन वादी को निर्दिष्ट किया गया था, तो उस स्थिति में प्रतिवादी उत्तरदायी होता है।

हल्टन एण्ड कम्पनी बनाम **जोन्स** के वाद में प्रतिवादीगण ने अपने समाचार-पत्र सण्डे क्रानिकल में एक परिकल्पनात्मक लेख प्रकाशित किया यह लेख उनके पेरिस के संवाददाता द्वारा लिखा गया था इस लेख की विषय-वस्तु में डीप्प में आयोजित एक मोटर उत्सव का वर्णन किया गया था। इस लेख में एक काल्पनिक व्यक्ति आर्टेमिस जोन्स के चरित्र की निन्दा की गई थी, जिसे पेखम की चर्च का वार्डन बतलाया गया था और उस उत्सव में उसका उपस्थित होना अभिकथित किया गया था ।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इस मानहानिकारक कथन के आधार पर आर्टेमस जोन्स नामक एक बैरिस्टर ने प्रतिवादीगण के विपरीत वाद संस्थित किया। उसके मित्रों ने शपथ पर यह बयान किया कि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि यह लेख उसी पर (आर्टेमस जोन्स बैरिस्टर) निर्दिष्ट था। प्रतिवादीगण ने यह अभिवाक् प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा प्रकाशित लेख में **"आर्टेमस जोन्स'** एक काल्पनिक अथवा परिकल्पनात्मक नाम था। उन्हें वादी के बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनका आशय वादी को बदनाम करना था। प्रतिवादीगण को इस तर्क के बावजूद भी उत्तरदायी माना गया।

सद्भावपूर्वक और वादी को अपमानित करने के किसी आशय के बिना कार्य करना प्रतिरक्षा के अभिवाक के रूप में मान्य नहीं है । यह निर्णित करने के लिए की क्या अभिकथित विषय वस्तु मानहानिकारक है अथवा नहीं या यह निर्णीत करने के लिए की क्या वह वादी के लिए मानहानिकारक है अथवा नहीं, लेखक का आशय पूर्णतः सारहीन है।

3. कथन को प्रकाशित होना चाहिये (The statement should be published)

प्रकाशन का तात्पर्य मानहानिकारक विषय-वस्तु को कुछ ऐसे अन्य व्यक्तियों की जानकारी में लाना है जो स्वयं वह व्यक्ति नहीं है जिसकी मानहानि हुई है, और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो मानहानि की कोई भी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

कार्यवाही नहीं हो सकती मानहानिकारक शब्दों का संसूचना वादी तक करना कार्यवाही के लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मानहानि एक ऐसी क्षति है जो ख्याति के विपरीत की गई है, और ख्याति अथा प्रतिष्ठा अन्य कर्तव्यों के उस आंकलन में निहित रहती है, जो ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति धारण करते हैं। अपने टंकक को श्रुतलेख बोलना प्रकाशन के लिये पर्याप्त है। यदि ऐसा श्रुतलेखन देना विशेषाधिकार की कोटि में आता हो । वादी के पास मानहानिकारक पत्र भेजना मानहानि नहीं है यदि कोई अन्य व्यक्ति गलती से ऐसे पत्र को पढ़ लेता है, जो बादी की लिखा गया है, तो उसके लिये प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है।जब पिता अपने पुत्र का पत्र खोल लेता है. या कोई खानसामा अपने नियोजक के मुहरबन्द पत्र को खोल कर पढ़ लेता है तब यह नहीं माना जायेगा कि मानहानिकारक शब्दों का प्रकाशन प्रतिवादी ने किया है और उसे उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

वादी को भेजा गया मानहानिकारक पत्र यदि सम्भाव्यतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, तो उसे प्रकाशन माना जायेगा 18 मानहानिकारक विषय वस्तु जब किसी पोस्टकार्ड अथवा तार में सम्मिलित रहती है, तो प्रतिवादी उसके लिये उत्तरदायी है, चाहे भले ही इस बात का कोई प्रमाण न हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे पढ़ा है, क्योंकि डाकखाने के उस कर्मचारी द्वारा पढ़ा जाता है, तो उसका प्रसारण करता है, और प्रास करता है, और इसी प्रकार पोस्टकार्ड के सन्दर्भ में भी इस बात की बहुत अधिक सम्भावना रहती

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

है कि वह किसी न किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ लिया जायेगा किन्तु यदि पोस्टकार्ड में सम्मिलित विषय वस्तु किसी ऐसे अपरिचित व्यक्ति को समझ में मानहानिकारक भावबोध उत्पन्न नहीं करती, जो ऐसी परिस्थितियों से परिचित नहीं है, जो पोस्टकार्ड में उल्लिखित नहीं है, तो वह विषय वस्तु मानहानिकारी नहीं माना जायेगा, चाहे भले ही उसे डाकिये अथा किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़ा हो, जिनके हाथों में वह पोस्टकार्ड गुजरा है।50 इसी प्रकार की स्थिति उस समय भी होगी जब वह विषय वस्तु ऐसी भाषा में हो जिसे पत्र पाने वाला व्यक्ति समझता नहीं है, या उसकी दृष्टि इतनी कमजोर हो गई है कि वह उसे पढ़ नहीं सकता या बहरा होने के कारण वह बोले गये शब्द सुन सकने में भी असमर्थ है।

जब वादी को प्रेषित किये गये अपमानकारी पत्र के सामान्य अनुक्रम में इस बात की सम्भावना है कि वह पत्र जिसे भेजा गया है, उसके लिपिक। अथवा उसकी पत्नी अथवा पक्ति द्वारा खोला जा सकता है, तो उस समय मानहानि का अपकार बन जाता है जब वह पत्र लिपिक अथवा पत्नी या पति द्वारा खोला और पढ़ा जाता है। किसी पत्र का प्रकाशन उस स्थिति में भी होता है जब प्रतिवादी यह जानता अथवा जान सकता था कि पत्र यद्यपि वादी को भेजा गया है, परन्तु वह किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, अर्थात् वह किसी ऐसी भाषा में लिखा गया है, जिसे वादी नहीं जानता और उसे वह पत्र किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वाना पड़ेगा।)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

महेन्द्र राम बनाम **हरनन्दन प्रसाद** के वाद में प्रतिवादी ने उर्दू में लिखा गया एक मानहानिकारक पत्र वादी को भेजा। वादी उर्दू नहीं जानता था, अत: वह पत्र एक अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा गया। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी तब तक उत्तरदायी नहीं हैं जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि वह पत्र उर्दू लिपि में लिखते समय प्रतिवादी यह जानता था कि वादी उर्दू लिपि नहीं जानता और उसके लिये यह आवश्यक हो जायेगा कि वह उस पत्र को किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वाये।

अरुमुगा मुदालियर बनाम **अन्नामलाई मुदालियर** के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि जब दो व्यक्ति वादी से सम्बन्धित मानहानिकारक विषय-वस्तु से युक्त पत्र संयुक्तत: लिखते हैं और उस पत्र को पंजीकृत डाक द्वारा वादी को भेज दिया जाता है तो वहाँ यह नहीं माना जायेगा कि मानहानिकारक विषय वस्तु को एक अपकृत्यकारी द्वारा दूसरे अपकृत्यकारी को प्रकाशित किया गया है, क्योंकि संयुक्त अपकृत्य के बीच न तो प्रकाशन का होना स्वीकार किया जा सकता है और यदि इसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि वादी को प्रेषित पंजीकृत पत्र किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ जाता है और वह व्यक्ति उस पत्र को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पढ़ता है तो यह पत्र को प्रकाशित करना है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper Name- (Law Of Torts And Consumer Protection Including Compehnsation Under Motor Vehicle)

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

2012-(5)

प्र०-2 संविदा भंग की दशा में संविदा के पक्षकार को प्राप्त होने वाले उपचारों को स्पष्ट कीजिये।

1. संविदा-भंग के लिये उत्प्रेरण (Inducing Breach of Contract)

जानबूझकर और बिना किसी विधिक न्यायानुमति के एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की गई अवस्थित संविदा भंग के लिये उत्प्रेरित करना, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा दूसरा व्यक्ति क्षतिग्रस्त होता है. एक अपकृत्यकारी कार्य है यही लमले बनाम गाई। के वाद में दिये गये निर्णय का सार है। इसके पूर्व स्वामी उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल कार्यवाही कर सकता था जिसने दोषपूर्ण रीति से उसको उसके सेवक को सेवाओं से वंचित कर दिया था, परन्तु यह नियम अन्य संविदाओं में लागू नहीं होता था लमले बनाम गाईं इस नियम में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है और संविदा भंग का उत्प्रेरण यहीं से एक स्वतन्त्र अपकृत्य के रूप में मान्य हुआ है। इस वाद में जोहन्ना बैगनर, जो एक प्रसिद्ध क्रियाशील गायिका थी, वादी के निमित्त गाने की एक संविदा के अधीन थी। प्रतिवादी ने उसे एक अच्छी धनराशि का भुगतान करके उत्प्रेरित किया कि वह वादी के साथ अपनी संविदा भंग कर दे और प्रतिवादी के लिये गाये इसके लिये प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

यह अपकृत्य कई तरह से किया जा सकता है

(क) प्रत्यक्ष उत्प्रेरणा द्वारा (By direct inducement)- प्रतिवादी द्वारा उत्प्रेरण का कार्य किया जाना आवश्यक है। इस निमित्त संविदा के एक पक्षकार को अपनी संविदा-भंग के लिये कुछ प्रलोभन दिया जा सकता है, उदाहरण के लिये, किसी सेवक को परिलब्धियों से अधिक देने का प्रस्ताव करना जो कि वह किसी अवस्थित संविदा के अन्तर्गत पहले से ही प्राप्त कर रहा है, अथवा किसी हानि की धमकी देना, यदि वह संविदा को बनाये रखता है, उदाहरण के लिये उसे हड़ताल की तब तक के लिये धमकी देना जब तक कि वादी को सेवा मुक्त नहीं कर दिया जाता केवल परामर्श का देना ही कार्यवाही योग्य नहीं है यदि कोई व्यक्ति चिकित्सीय परामर्श के कारण अपनी सेवा संविदा को भंग करता है अथवा कोई बालिका अपने माता पिता की सलाह पर विवाद की अपनी संविदा भंग करती है तो चिकित्सक अथवा माता पिता के विरुद्ध संविदा भंग के उत्प्रेरण के निमित्त कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु यह सम्भव है कि किसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसने सेवा अथवा विवाह की संविदा को भंग किया है, वह स्वयं संविदा भंग के लिये उत्तरदायी हो।

(ख) कोई ऐसा कार्य करना, जिससे संविदा का पालन वास्तविकत: असम्भव हो जाये-इस तरह के कार्य का उदाहरण है- संविदा का पालन निवारित करने के

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

उद्देश्य से उसके एक पक्षकार को वास्तविकत: निरुद्ध करना अथवा ऐसे औजारों को हटा देना, जो संविदा के पालन के लिये आवश्यक हों।

यह नियम कि संविदा भंग का उत्प्रेरण एक अपकृत्य है, निम्न प्रतिवन्धों से युक्त है-

(1) यद्यपि किसी अवस्थित संविदा भंग का उत्प्रेरण एक अपकृत्य है, किन्तु किसी व्यक्ति को संकिया। प्रविष्ट होने से रोकने के लिये प्रेरित करना अपकार नहीं है। किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण ढंग से किसी विद्यमान संविदा की समाप्ति के लिये प्रेरित करना भी अपकृत्य नहीं है। ऐलन बनाम प्लड का वाद इस

प्रस्थाप्य का निदेशक वाद है। इस वाद में वादी को, जो पोत निर्माता थे, पोत स्वामियों द्वारा पोत पर कुछ लकड़ी का काम करने के लिये नियुक्त किया गया था पोत स्वामियों की इच्छा पर इनकी सेवायें कभी भी समा की जा सकती थीं। अतीत की कुछ शिकायतों के कारण कुछ लौहकर्मियों ने इस पोत पर वादी के यहाँ कार्य करने में आपत्ति की ओर अपने प्रतिनिधि (प्रतिवादी) द्वारा उन लोगों के पोत स्वामियों को अपनी चेतावनी प्रेषित कर दी कि यदि वादी को नियोजन से हटाया न गया तो वे लोग हडताल पर चले जायेंगे। वादी की उसी दिन नियोजन मुक्त कर दिया गया। वादी की सेवायें चूंकि विधिपूर्ण ढंग से समाप्त की जा सकती थीं, अत: हाउस ऑफ लाईस ने यह धारित

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

किया कि प्रतिवादी के मस्तिष्क में चाहे जितना भी विद्वेषपूर्ण प्रयोजन रहा हो, बादी उनके विपरीत कार्यवाही नहीं कर सकता था।

(2) ऐसे अनुबन्धों के भंग का उत्प्रेरणा कार्यवाही योग्य नहीं है जो शून्य है। इस प्रकार पणयम अथवा बाजी संविदा (wagering agreement) के भंग अथवा किसी शिशु के उस अनुबन्ध के भंग का उत्प्रेरक कार्यवाही योग्य नहीं है जो उत्पीड़क और अयुक्तियुक्त है ।

(3) संविदा भंग का उत्प्रेरण जब बिना किसी न्यायानुमत के होता है तो कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु न्यायानुमत के साथ संविदा भंग का उत्प्रेरण एक अच्छी प्रतिरक्षा है। इस प्रकार ब्राइमलो बनाम कैसन के बाद में यह धारित किया गया था कि कलाकार संरक्षण समाज (actor's protection society) के सदस्यों द्वारा थियेटर प्रबन्धक को वादी के साथ की गई संविदा भंग के लिये उत्प्रेरित करना न्यायसम्मत था, क्योंकि वादी अपनी गायक दल की गायिकाओं (chorus girls) को इतना कम वेतन देता था कि वे विवश होकर वेश्यावृत्ति की शरण में चली गयी थीं। उस पिता का कार्य न्यायसम्मत है जो अपनी पुत्री को किसी आवारा के साथ की गई विवाह की संविदा भंग के लिये प्रेरित करता है।

(4) नियम का एक अपवाद (इंगलिश) ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट, 1906 द्वारा भी सृजित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार " किसी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

व्यवसाय-विवाद के चिन्तन अथवा अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य केवल इस आधार पर कार्यवाही योग्य नहीं होगा कि उस कार्य ने किसी अन्य व्यक्ति को नियोजन की संविदा भंग के लिये उत्प्रेरित किया है, अथवा यह कि वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के वाणिज्य, व्यापार अथवा नियोजन के साथ अपनी इच्छा पर अपनी पूंजी अथवा श्रम के व्ययन के किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के साथ हस्तक्षेप है।"

इसी प्रकार का एक प्रावधान (भारतीय) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 18 (1) में भी उपबन्धित किया गया है, जो यह कहता है कि

(क्षति एवं नुकसानी के लिये प्रतिकर -संविदा के भंग के लिये प्रतिकर को केवल उस हानि या नुकसानी को पूरा करने के लिये ही प्रदान किया जाता है, जो चीजों के प्राकृतिक अनुक्रम में प्रोद्भूत हुआ हो अथवा नहीं।

संविदा का विनिर्दिष्ट पालन- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (ग) अधिकथित करती है कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को उस व्यक्ति के पक्ष में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, जो यह प्रकथन करने और साबित करने के लिये असफल रहता है कि वह निबन्धनों, जिसके पालन का प्रतिवादी द्वारा निवारण किया गया है या अधित्यजन किया गया है, के अतिरिक्त संविदा के अन्य आवश्यक निबन्धनों, जिनका उसके द्वारा पालन किया जाना है, पालन किया है या सदैव पालन करने के लिये तैयार और इच्छुक है। इस उपधारा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

का स्पष्टीकरण प्रावधान करता है कि वादी को संविदा के वास्तविक अर्थान्वयन के अनुसार संविदा के पालन या पालन करने की तैयारी और इच्छा का प्रकथन करना चाहिये। इस प्रावधान की अपेक्षा यह है कि वादी को यह प्रकथन करना चाहिये कि वह सदैव संविदा के अतिरिक्त निबन्धन का पालन करने के लिये तैयार और इच्छुक रहा है। इसलिये न केवल वादपत्र में ऐसा प्रकथन किया जाना चाहिये बल्कि प्रतिवेशी परिस्थितियों को भी यह निर्दिष्ट करना चाहिये कि तैयारी और इच्छा संविदा की तारीख से वाद की सुनवाई तक जारी है। यह सुस्थापित है कि विनिर्दिष्ट पालन का साम्यापूर्ण उपचार उन अभिवचनों के आधार पर नहीं हो सकता, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के प्ररुप 47 और 48 के निबन्धनों में वादी की संविदा का पालन करने की तैयारी और इच्छा का प्रकथन अन्तर्विष्ट नहीं है।

2. **अभित्रास** (Intimidation)

अभित्रास अब अपकृत्य के रूप में स्थापित हो गया है ।16 यह "एक धमकी का संज्ञापन है जिसमें एक व्यक्ति, हरण के लिये 'अ' द्वारा दूसरे व्यक्ति" उदाहरण के लिये 'व', को धमकी दी जाती है, जिसके माध्यम से 'अ' साशय 'ब' को या तो स्वयं अपने लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति उदाहरण के लिये स' के लिये अहितकर कार्य करना अथवा करने से विरत रहना कारित करता है।"7 इस अपकार का मूल तत्व विधि विरुद्ध धमकी का प्रयोग है। धमकी दिया गया व्यक्ति या तो अपने लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अहितकर कार्य करने को विवश किया जाता है। हिंसा के प्रयोग के साथ किसी व्यक्ति को धमकी देना कि वह एक विशेष रास्ते से न जाये, उसने व्यापार में लगा रहे अथवा किसी विशेष संविदा का पालन न करे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें किसी व्यक्ति को अपने लिये अहितकर कार्य करने को विवश किया जाता है।

प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभित्रास की संरचना के लिये धमकी से परिपूर्ण विधिविरुद्ध कार्य को तो कोई हिंसा होनी चाहिये अथवा किसी अपकृत्य का किया जाना होना चाहिये, मात्र संविदा भंग की धमकी पर्याप्त नहीं हाउस आफ लार्ड्स ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। लार्ड रीड ने कहा था

3. षड़यंत्र (Conspiracy)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण न्यायानुमति के वादी को जानबूझ कर क्षति कारित करने के प्रयोजन से संयुक्त होते हैं और उनके संयोजन के परिणामस्वरूप वादी को वास्तविक क्षति होती है, तब वे षड़यंत्र का अपकृत्य करते हैं।22 षड़यंत्र अपकृत्य और अपराध दोनों है। आपराधिक षड़यंत्र से भिन्न है जो अपकृत्य है। दण्ड विधि के अन्तर्गत दो पक्षकारों के बीच किसी अवैध कार्य को करने के लिये अथवा किसी ऐसे कार्य को करने के लिये, जो अवैध नहीं है परन्तु जिसे अवैध साधनों द्वारा किया जाना है, किया गया अनुबन्ध मात्र ही कार्यवाही के योग्य होता है। यह आवश्यक नहीं है कि

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अनुबन्ध के अनुसरण में षड़यंत्रकारियों ने अपनी-अपनी भूमिका भी निभाई हो। किन्तु, षड़यंत्र का अपकृत्य केवल दो पक्षकारों के बीच किये गये अनुबन्ध मात्र से ही सम्पन्न नहीं हो जाता, अपकृत्य केवल तभी पूर्ण होता है, जब वादी को वास्तविक क्षति हुई हो।

(4.) विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति (Malicious Falsehood) -

विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति ऐसे विद्वेषपूर्ण कथन में सम्मिलित रहती है जो वादी से सम्बन्धित होती है और किसी तीसरे व्यक्ति से कही गई होती है तथा जिसके कारण वादी के आर्थिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होते हैं। यह अपकार मानहानि जैसा ही है क्योंकि इस तरह के मामले में, जैसा कि मानहानि में होता है, इस कथन के कारण वादी को क्षति सहन करनी पड़ती है, जो किसी तृतीय व्यक्ति से कहा गया है किन्तु इन दोनों अपकारों में अन्तर भी है- मानहानि के मामले में वादी का जो हित प्रभावित होता है वह उसकी ख्याति होती है, परन्तु विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति में वादी का आर्थिक हित प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त मानहानि के मामले में एक बुरे हेतुक अथवा प्रयोजन के रूप में विद्वेष का विद्यमान रहना आवश्यक नहीं है, परन्तु विद्वेषपूर्ण मिथ्योक्ति के अपकार में दुष्प्रयोजन अथवा बुरा हेतु अपकार का एक आवश्यक तत्व है।

5. अपना माल दूसरे के नाम पर चला देना (Passing off)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

यह वह अपकार है जिसके माध्यम से व्यापारी धोखे से परिपूर्ण युक्तियों को अपना कर अपना विक्रय बढ़ा लेता है और अपने माल को इस प्रति मुद्रा के अन्तर्गत चलने देता है कि वह माल किसी अन्य व्यक्ति का है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने माल को किसी अन्य व्यक्ति के माल के रूप में प्रस्तुत करे। यदि कोई व्यक्ति अपने उत्पादनों के लिये यह अथवा वैसा ही नाम प्रयुक्त करे जैसा कि वादी का है अथवा अपने उत्पादन को इस प्रकार की साज-सज्जा प्रदान करे कि उससे यह लगे कि वह वादी का माल है तो इससे अपना माल दूसरे के नाम पर चला देना (Passing off) का अपकार बनता है प्रतिवादी का उत्तरदायित्व धोखे के ज्ञान अथवा आशय की सिद्धि के अभाव में भी उत्पन्न हो जाता है । यह भी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वादी ने इस अपकार के कारण किसी प्रकार की क्षति सहन की है क्योंकि इस अपकार में क्षति की उपधारणा होती है। इस अपकार में जो कुछ भी साबित करना आवश्यक होता है वह यह है कि प्रतिवादी का माल इस प्रकार चिन्हांकित, निर्मित अथवा वर्णित किया गया है कि जिससे यह आंकलित किया जा सकता हो कि उस चिन्हांकन, निर्माण अथवा वर्णन के कारण साधारण क्रेता भ्रमित होकर प्रतिवादी का माल वादी का ही माल समझ लेंगे।

6. नुकसानी की दूरस्थता (Remoteness of Damages)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

एल्डरसन बी० का हैडली बनाम बैक्सेनडेल में दिया गया निम्नलिखित कथन यह निश्चित करने के लिये, कि क्या नुकसानी संविदा भंग का निकट का या दूरस्थ परिणाम है, विधि का आधार माना जाता है :

"जहां दो पक्षकारों ने कोई संविदा की हो जिसका उनमें से किसी एक पक्षकार ने भंग कर दिया हो, ऐसे संविदा भंग के लिये दूसरे पक्षकार द्वारा जो नुकसानी प्राप्त की जानी चाहिये, वह ऐसी होनी चाहिये जिसे ऋजुपूर्वक और युक्तियुक्त प्रकार से या तो प्रकृत्या उत्पन्न हुआ या ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो, जिसका संविदा भंग का सम्भाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी।

हैडली बनाम **बैक्सेनडेल** के नियम के दो भाग हैं। किसी संविदा भंग पर ऐसी नुकसानी वसूली की जा सकती है

(1) जो कि ऋजुपूर्वक और युक्तियुक्त पूर्वक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न मानी जा सके यानि कि, ऐसे भंग से ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में उत्पन्न मानी जा सके; या

(2) जिसके होने की सम्भावना की युक्तियुक्त जानकारी पक्षकारों को संविदा करने के समय ही रही हो।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

7. नुकसानी का माप (Measure of Damages)यह स्थापित हो जाने के पश्चात् कि संविदा भंग का कोई अमुक परिणाम दूरस्थ नहीं है और सामीप्य है और वादी को उसके लिये प्रतिकर दिया जाना चाहिये, अगला प्रश्न जो उठता है वह यह है : उसके लिये नुकसानी का माप क्या है, या दूसरे शब्दों में संविदा भंग के लिये प्रतिकर निर्धारण का प्रश्न है।

नुकसानी स्वभाव में प्रतिकारात्मक है। नुकसानी पंचाट करने का उद्देश्य क्षतिग्रस्त पक्षकार को उसी स्थिति में स्थापित करता है जिसमें वह होता यदि संविदा का पालन हो जाता। अत: नुकसानी उस आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि कोई एक पक्षकार संविदा के सही पालन के लिये दूसरे से प्रतिभू लेता है, वह व्यतिक्रम के आधार पर जमा राशि को जब्त करने का हकदार नहीं होता है, जब उसे व्यतिक्रम से कोई क्षति कारित नहीं होती है

8. परिनिर्धारित नुकसानी और शास्ति (Liquidated Damages & Penalty)

कभी-कभी किसी संविदा के पक्षकार, संविदा करते समय संविदा भंग होने की घटना में संदत्त किये जाने वाले प्रतिकर की राशि के लिये करार कर लेते हैं । संदत्त किये जाने प्रतिकर की राशि, जो कि पहले ही करार की जा चुकी है, या परिनिर्धारित नुकसानी या शास्ति हो सकती है। यदि संविदा-भंग पर संदाय किया जाने वाला प्रतिकर भावी नुकसानी का वास्तविक पूर्व प्राक्कलन है, यह परिनिर्धारित नुकसानी कहलाता है। यदि संविदा-भंग की घटना में संदाय किये

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जाने के लिये करार किया गया सम्भव प्रतिकर हानि से अधिक और अत्यधिक अननुपातिक है, यानि कि, राशि संविदा-भंग को हतोत्साहित करने के विचार शास्ति की भाँति निश्चित की जाती है, यह शास्ति कहलाती है। कोई अनुबन्ध शास्ति है या परिनिर्धारित नुकसानी संविदा के निर्माण पर जब संविदा की गयी थी उस समय पर निर्णीत करने पर निर्भर करता है और शास्ति या परिनिर्धारित नुकसानी का सिर्फ विवरण चाहे सुसंगत था लेकिन निश्चित नहीं 69 शास्ति और परिनिर्धारित नुकसानी के बीच का अन्तर की लोप्स, न्यायाधीश द्वारा **लॉ** बनाम **रेडिच लोकल बोर्ड** में व्याख्या की गयी थी:

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

2013-(6)

प्र०-3 उन तत्वों की गणना कीजिये जो मानहानि के अपकृत्य का गठन करते हैं।

मानहानि के आवश्यक तत्व

मानहानि अपकार की संरचना के निम्नलिखित प्रमुख आवश्यक तत्व हैं

(1) कथन मानहानिकारक हो (The statement should be defamatory);

(2) कथन को वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिये (The statement should refer to the plaintiff);

(3) ऐसे कथन को प्रकाशित होना चाहिये (The statement should be published)।

1. कथन का मानहानिकारक (Defamatory) होना- मानहानिकारक कथन वह है जिसकी प्रवृत्ति वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाना हो। मानहानि किसी कथन का वह प्रकाशन है जिसकी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को समाज के ठीक समझने वाले सदस्यों के आंकलन में नीचा दिखलाना हो, 8 या जिनकी प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज में घृणा उत्पन्न करना अथवा समाज के सदस्यों को ऐसे व्यक्ति को वर्जन अथवा उससे बचकर रहने को प्रवृत्ति उत्पत्र करना हो। ऐसा कोई भी आरोप मानहानिकारक हो सकता है जो किसी व्यक्ति पर

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अपयश, तिरस्कार, उपहास अथवा अवमानना का अनावरण करता हो । कोई कथन मानहानिकारक है अथवा नहीं इस बात पर निर्भर करता है, कि समाज के ठीक समझने वाले व्यक्ति उस कथन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। इस सम्बन्ध में जो मापदण्ड लागू किया जाता है वह एक समझदार नागरिक का या एक औसत बुद्धि वाले व्यक्ति का मापदण्ड होता है न कि ऐसे किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों का जिनके मूल्य अथवा मान्यताओं को सामान्यतः समाज के समझदार सदस्यों का अनुमोदन अथवा सत्कार नहीं प्राप्त होता । कथन का सम्भाव्य प्रभाव यदि वादी की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त करता है तो यह कहना प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार्य नहीं है कि वह मानहानि के लिये आशयित नहीं था यदि कथन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति अवमानना, उपहास, भय, अपसन्द अथवा अवमूल्यन उत्पन्न होता है, तो वह कथन मानहानिकारक है। मानहानि का सारतत्व किसी व्यक्ति के चरित्र अथवा उसकी ख्याति की क्षति है।

एस० एन० एम० आब्दी बनाम **प्रफुल्ल कुमार महन्ता** के वाद में यह निर्णय दिया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि आरोप पूर्ण वक्तव्य वादी को समाज के प्रत्येक व्यक्ति अथवा उससे परिचित प्रत्येक व्यक्ति की नजर से गिरा दे। मानहानि के लिये इतना काफी है कि प्रकाशन किया गया कथन वादी को

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

समाज के पर्याप्त प्रतिष्ठित वर्ग के आंकलन में नीचा दिखाए, चाहे वह वर्ग पूरे समाज की तुलना में कम संख्या में हो।

उक्त वाद में 8-9-1990 के Illustrated weekly of India के अंक में एक लेख छापा गया जिसमें असम के पद से हटाए गये deposed) मुख्यमंत्री, **प्रफुल्ल कुमार महन्ता,** अनुचित बल प्रयोग के आरोप लगाये गये थे।

मानहानि के लिये आशय आवश्यक नहीं है - यदि प्रकाशित शब्द मानहानिकारक है तो प्रतिवादी मानहानि के लिये उत्तरदायी है चाहे भले ही ऐसे कथन करने वाले व्यक्ति ने उन शब्दों का प्रकाशन मानहानि के आशय से न किया हो। यह सारहीन है कि प्रतिवादीगण उन तत्वों को नहीं जानते थे, जिनके कारण कोई कथन, जो अन्यथा निर्दोषपूर्ण प्रतीत होता है वास्तव में मानहानि कारक है। कैसिडी बनाम डेली मिरर न्यूज पेपर्स लिमिटेड32 के वाद में मिस्टर कैसिडी (जिन्हें मिस्टर कोरिगन के नाम से भी जाना जाता था) का विवाह एक महिला से हुआ था, जो अपने को श्रीमती कैसिडी अथवा श्रीमती कोरिगन के नाम से परिचय देती थी। इस महिला के सन्दर्भ में यह जाना जाता था कि वह मिस्टर कैसिडी की विधिसम्मत पत्नी है, जो उसके साथ रहता नहीं है, परन्तु कभी-कभी उसके पास आता है, और उसके साथ आवास में रुकता है। प्रतिवादीगण ने अपने समाचार- पत्र में मिस्टर कोरिगन और एक अविवाहित लड़की कुमारी 'क' फोटोचित्र इन शब्दों के साथ प्रकाशित करवा दिया, 'घुड़दौड़ का स्वामी, मिस्टर एम० कोरिगन, और कुमारी 'क' जिनकी सगाई

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

उद्घोषित हुई है।' श्रीमती कोरिगन ने प्रतिवादीगण के विपरीत अपमान लेख के निमित्त इस अभिकथन के साथ वाद संस्थित किया कि इस प्रकाशित वक्रोक्ति का प्रभाव यह था कि मिस्टर कोरिगन अभी त

अविवाहित है, तथा वह उसका पति नहीं है, और उनका उसके साथ अनैतिक सम्बन्ध है। वादी की कुछ महिला परिचितों ने यह साक्ष्य भी दिया कि इस प्रकाशन के परिणामस्वरूप उन्होंने श्रीमती कोरिंग के सम्बन्ध में बुरा अभिमत धारण किया है। जूरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि समाचार-पत्र में प्रकाशित शब्द मानहानिकारक अर्थ से संयुक्त है और उन्होंने नुकसानी का भुगतान करने का निर्णय प्रदान किया। कोर्ट ऑफ अपील ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि समाचार-पत्र के माध्यम से वक्रोक्ति प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादीगण का प्रत्यक्ष निर्दोषपन प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिवादी उत्तरदायी ठहराये गये।)

कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट हों (The Statement should refer to the plaintiff) मानहानि की किसी कार्यवाही में वाद को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि शब्द, जिनका उसने परिवाद किया है, उसे निर्दिष्ट थे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रतिवादी का आशय वादी का मानहानि करना नहीं था यदि वे व्यक्ति, जिनके बीच शब्दों का प्रकाशन किया गया था, युक्तियुक्ततः यह अनुमान कर

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सकते थे, कि वह कथन वादी को निर्दिष्ट किया गया था, तो उस स्थिति में प्रतिवादी उत्तरदायी होता है।

हल्टन एण्ड कम्पनी बनाम **जोन्स** के वाद में प्रतिवादीगण ने अपने समाचार-पत्र सण्डे क्रानिकल में एक परिकल्पनात्मक लेख प्रकाशित किया यह लेख उनके पेरिस के संवाददाता द्वारा लिखा गया था इस लेख की विषय-वस्तु में डीप्प में आयोजित एक मोटर उत्सव का वर्णन किया गया था। इस लेख में एक काल्पनिक व्यक्ति आर्टेमिस जोन्स के चरित्र की निन्दा की गई थी, जिसे पेखम की चर्च का वार्डन बतलाया गया था और उस उत्सव में उसका उपस्थित होना अभिकथित किया गया था ।

इस मानहानिकारक कथन के आधार पर आर्टेमस जोन्स नामक एक बैरिस्टर ने प्रतिवादीगण के विपरीत वाद संस्थित किया। उसके मित्रों ने शपथ पर यह बयान किया कि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि यह लेख उसी पर (आर्टेमस जोन्स बैरिस्टर) निर्दिष्ट था। प्रतिवादीगण ने यह अभिवाक् प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा प्रकाशित लेख में **"आर्टेमस जोन्स**' एक काल्पनिक अथवा परिकल्पनात्मक नाम था। उन्हें वादी के बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनका आशय वादी को बदनाम करना था। प्रतिवादीगण को इस तर्क के बावजूद भी उत्तरदायी माना गया।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सद्भावपूर्वक और वादी को अपमानित करने के किसी आशय के बिना कार्य करना प्रतिरक्षा के अभिवाक के रूप में मान्य नहीं है । यह निर्णित करने के लिए की क्या अभिकथित विषय वस्तु मानहानिकारक है अथवा नहीं या यह निर्णीत करने के लिए की क्या वह वादी के लिए मानहानिकारक है अथवा नहीं, लेखक का आशय पूर्णतः सारहीन है।

3. कथन को प्रकाशित होना चाहिये (The statement should be published)

प्रकाशन का तात्पर्य मानहानिकारक विषय-वस्तु को कुछ ऐसे अन्य व्यक्तियों की जानकारी में लाना है जो स्वयं वह व्यक्ति नहीं है जिसकी मानहानि हुई है, और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो मानहानि की कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती मानहानिकारक शब्दों का संसूचना वादी तक करना कार्यवाही के लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मानहानि एक ऐसी क्षति है जो ख्याति के विपरीत की गई है, और ख्याति अथा प्रतिष्ठा अन्य कर्तव्यों के उस आंकलन में निहित रहती है, जो ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति धारण करते हैं। अपने टेकक को श्रुतलेख बोलना प्रकाशन के लिये पर्याप्त है। यदि ऐसा श्रुतलेखन देना विशेषाधिकार की कोटि में आता हो । वादी के पास मानहानिकारक पत्र भेजना मानहानि नहीं है यदि कोई अन्य व्यक्ति गलती से ऐसे पत्र को पढ़ लेता है, जो बादी की लिखा गया है, तो उसके लिये प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है।जब पिता अपने पुत्र का पत्र खोल लेता है. या कोई खानसामा अपने नियोजक के मुहरबन्द पत्र को खोल कर पढ़ लेता है तब यह

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

नहीं माना जायेगा कि मानहानिकारक शब्दों का प्रकाशन प्रतिवादी ने किया है और उसे उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

वादी को भेजा गया मानहानिकारक पत्र यदि सम्भाव्यतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, तो उसे प्रकाशन माना जायेगा 18 मानहानिकारक विषय वस्तु जब किसी पोस्टकार्ड अथवा तार में सम्मिलित रहती है, तो प्रतिवादी उसके लिये उत्तरदायी है, चाहे भले ही इस बात का कोई प्रमाण न हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे पढ़ा है, क्योंकि डाकखाने के उस कर्मचारी द्वारा पढ़ा जाता है, तो उसका प्रसारण करता है, और प्रास करता है, और इसी प्रकार पोस्टकार्ड के सन्दर्भ में भी इस बात की बहुत अधिक सम्भावना रहती है कि वह किसी न किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ लिया जायेगा किन्तु यदि पोस्टकार्ड में सम्मिलित विषय वस्तु किसी ऐसे अपरिचित व्यक्ति को समझ में मानहानिकारक भावबोध उत्पन्न नहीं करती, जो ऐसी परिस्थितियों से परिचित नहीं है, जो पोस्टकार्ड में उल्लिखित नहीं है, तो बह विषय वस्तु मानहानिकारी नहीं माना जायेगा, चाहे भले ही उसे डाकिये अथा किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़ा हो, जिनके हाथों में वह पोस्टकार्ड गुजरा है।50 इसी प्रकार की स्थिति उस समय भी होगी जब वह विषय वस्तु ऐसी भाषा में हो जिसे पत्र पाने वाला व्यक्ति समझता नहीं है, या उसकी दृष्टि इतनी कमजोर हो गई है कि वह उसे पढ़ नहीं सकता या बहरा होने के कारण वह बोले गये शब्द सुन सकने में भी असमर्थ है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जब वादी को प्रेषित किये गये अपमानकारी पत्र के सामान्य अनुक्रम में इस बात की सम्भावना है कि वह पत्र जिसे भेजा गया है, उसके लिपिक। अथवा उसकी पत्नी अथवा पक्ति द्वारा खोला जा सकता है, तो उस समय मानहानि का अपकार बन जाता है जब वह पत्र लिपिक अथवा पत्नी या पति द्वारा खोला और पढ़ा जाता है। किसी पत्र का प्रकाशन उस स्थिति में भी होता है जब प्रतिवादी यह जानता अथवा जान सकता था कि पत्र यद्यपि वादी को भेजा गया है, परन्तु वह किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, अर्थात् वह किसी ऐसी भाषा में लिखा गया है, जिसे वादी नहीं जानता और उसे वह पत्र किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वाना पड़ेगा।)

महेन्द्र राम बनाम **हरनन्दन प्रसाद** के वाद में प्रतिवादी ने उर्दू में लिखा गया एक मानहानिकारक पत्र वादी को भेजा। वादी उर्दू नहीं जानता था, अत: वह पत्र एक अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा गया। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी तब तक उत्तरदायी नहीं हैं जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि वह पत्र उर्दू लिपि में लिखते समय प्रतिवादी यह जानता था कि वादी उर्दू लिपि नहीं जानता और उसके लिये यह आवश्यक हो जायेगा कि वह उस पत्र को किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वाये।

अरुमुगा मुदालियर बनाम **अन्नामलाई मुदालियर** के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि जब दो व्यक्ति वादी से

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-3

सम्बन्धित मानहानिकारक विषय-वस्तु से युक्त पत्र संयुक्ततः लिखते हैं और उस पत्र को पंजीकृत डाक द्वारा वादी को भेज दिया जाता है तो वहाँ यह नहीं माना जायेगा कि मानहानिकारक विषय वस्तु को एक अपकृत्यकारी द्वारा दूसरे अपकृत्यकारी को प्रकाशित किया गया है, क्योंकि संयुक्त अपकृत्य के बीच न तो प्रकाशन का होना स्वीकार किया जा सकता है और यदि इसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि वादी को प्रेषित पंजीकृत पत्र किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ जाता है और वह व्यक्ति उस पत्र को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पढ़ता है तो यह पत्र को प्रकाशित करना है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.